फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा निवासी वार्ड नं. 16 पो0 देवगढ़ मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द **— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ **— प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 11/2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक : आरटीआई/42/अपील–11/2026/111–112 दिनांक 25.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री गोपाल कंसारा निवासी वार्ड नं. 16 पो0 देवगढ़ मदारिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 31.12.2025 द्वारा इस कार्यालय हाजा को दिनांक 31.12.2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। जिसमें दो बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी। बिन्दु संख्या 1 में पूर्व में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं बिन्दु संख्या 2 में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के पत्रांक 377 दिनांक 13.02.2025 पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा भेजे गए जवाब की प्रति चाही गई। जिसमें बिन्दु संख्या 01 से संबंधित प्रति एवं बिन्दु संख्या 02 के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार संबंधित पत्र पर कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया। इस क्रम में हाजा कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/42/244940705977667/2026/46 दिनांक 28.01.2026 से अपीलार्थी को सूचना नियत समय उपलब्ध करवाई जाकर सूचना आवेदन का विनिश्चय कर दिया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करना फरमावे।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही वांछित सूचना नियत समय में उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)